

पत्र संख्या-वि0व0संग्रह/2019-20/

1706

/वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0

(संग्रह अनुभाग)

लखनऊः दिनांकः 19 मार्च, 2020

**समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

वर्तमान में COVID-19 वायरस द्वारा कोरोना महामारी के रूप में व्याप्त है। इसका प्रमुख बचाव समूह से बचने से ही संभव है। पूरे देश में Self quarantine की स्थिति है। इन्ही परिस्थितियों को दृष्टव्य रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीठ द्वारा दिनांक 18-03-2020 को निम्न आदेश पारित किया गया है-

A. All the recovery proceedings at the end of the district administration, financial institutions and other administrative bodies/authorities/agencies and otherwise at the end of the instrumentalities of the State shall be deferred for a period of two weeks i.e. till 06.04.2020.

B. All the auction proceedings, if any pending or initiated in the meanwhile, shall remain deferred for a period of two weeks i.e. till a 06.04.2020.

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश उपरोक्तानुसार सुनिश्चित करें।

(सूर्यमणि लालचंद)

एडीशनल कमिश्नर, (प्रशासन)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश